न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार (आर. ए. एस.)

अपील संख्या : 2022/253

1. मोहनलाल आत्मज रामलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम रोझडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. मांगीबाई बेवा मोडूलाल नाता पत्नी शंकरलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम लाम्बा पीपल तहसील तालेड़ा हाल निवास ग्राम अकतासा तहसील तालेडा जिला बून्दी

—अपीलान्ट

बनाम

1. बाबूलाल आत्मज रामलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम रोझडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. पैरोकार सरकार–रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 27.09.2023

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्टेट (मुख्यालय), कोटा के प्रकरण संख्या 07/2017 में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 19.07.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी के भाई मोडूलाल वल्द रामलाल गुर्जर निवासी रोझडी, तह० लाडपुरा जिला कोटा को आराजी गत खसरा नं० 179 की 15 बीघा का आवंटन दिनांक 20.04.1973 को कृषि प्रयोजनार्थ किया गया था और आवंटन कर भूमि पर उन्हें मौके पर दखल दिया गया था। आवंटन उपरान्त भूमि पर दखल देने के बाद ही उक्त आराजी में दिनांक 3.11.75 को उन्हें गैर खातेदारी अधिकार प्रदान कर उनके गैर खातेदारी में दर्ज की गई जिसका नामान्तरकरण सं0 128 खोला गया और इसके बाद मोडूलाल जी बतौर आवंटी व मालिक उक्त भूमि पर अपने जीवनकाल में काबिज काश्त रहे और दिनांक 30.09.1988

को आवंटी मोडूलाल बैओलाद फौत हो गये, और इसके पश्चात प्रार्थी वादी उनका भाई एवं जायज वारिस व उत्तराधिकारी होने से उक्त भूमि पर काबिज काश्त निरन्तर चला आ रहा है। उक्त गैर खातेदारी का नामान्तरकरण खोलकर आवंटी मोडूलाल को खातेदारी अधिकार तो प्रदान कर दिये गये, किन्तु सेटलमेंट विभाग द्वारा सहवन से उक्त गैर खातेदारी के नामान्तरकरण का अंकन जमाबन्दी में नहीं किया गया और सेटलमेंट के उपरान्त उक्त भूमि के नये नं0 179/1मि. व 179/1 कायम किया गया तथा 179/1 मि0 की भूमि ख0नं0 177 मि0 के साथ मिलाकर बनाया गया जिसका कुल रकबा 2.88 है0 तथा ख0नं0 179/1 मि0 को खसरा नं0 188/1 मि0 व 169 मि0 पुराना खसरा नं0 274 दर्शाते हुये पुराने खसरा नं0 274 का रकबा 4.02 है० दर्शा दिया गया है, इस प्रकार सेटलमेन्ट अधिकारियों ने गलत रूप से व लापरवाही पूर्वक वादी के भाई को आवंटित भूमि को अन्य खसरा नं0 में मिलाकर उसका नया नं० कायम कर दिया, जबकि मौके पर आज भी भूमि पूर्ववत यथावत 15 बीघा मौजूद है और जिस पर वादी बतौर मालिक स्व० मोडूलाल के उत्तराधिकारी की हैसियत से काबिज कारत है तथा सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत तौर पर उक्त आवंटनशुदा भूमि को अन्य खसरा नं0 में मर्ज कर मिलाते हुये नया नं० सिवायचक दर्ज कर दिया है, जो कि वादी मृतक मोडूलाल के उत्तराधिकारी की हैसियत से स्वयं के खाते दर्ज करवा कर रिकार्ड में दुरुस्ती व अमल दरामद कराने का अधिकारी है। स्व० मोडू लाल जी जब तक जीवित रहे, स्वयं उक्त भूमि पर काबिज काश्त रहे और वादी जो कि उनका भाई है, उनके जीवनकाल में ही उका भूमि पर उनके साथ ही काश्त करता आ रहा है, और आज भी वादी ही उक्त आराजी पर काबिज कारत है। स्व० मोडूलाल के कोई औलाद नहीं है, और इस प्रकार वादी ही मोडूलाल का एकमात्र उत्तराधिकारी है और वादी के अलावा उनका अन्य कोई उत्तराधिकारी नहीं है और वादी के अलावा मृतक मोडूलाल का अन्य कोई वारिस एव उत्तराधिकारी नहीं हैं। और उनका उत्तराधिकारी होने से वादी उक्त भूमि का खातेदार घोषित होकर रिकार्ड में बतौर खातेदार नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। सेटलमेंट विभाग द्वारा रिकार्ड में गलत इन्द्राज की वादी को कभी जानकारी नहीं हुई, तथा पटवारी हल्का से जानकारी होने पर उसने कई बार राजस्व अधिकारियों से इन्द्राज दुरुस्ती कर उक्त आवंटित 15 बीघा भूमि जो कि मि० नं० 168 व 169 से मिलाकर नया ख0नं0 274 रकबा 4.02 है0 कायम कर सिवायचक दर्ज किया गया है, उसमें से वादी के भाई मोडूलाल को आवंटनशुदा 15 बीघा यानि 2.40 है० रकबा वादी के खाते दर्ज करने हेतु निवेदन किये, किन्तु इन्द्राज दुरुस्ती नहीं की गई और दिनांक 16.11.16 को तहसीलदार लाडपुरा ने इन्द्राज दुरूस्ती करने से इनकार करते हुये शीघ्र ही रिकार्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर वादी को आराजी से बेदखल करने की धमकी दी है, अतः वादी को माननीय न्यायालय में उक्त बाद पेश करना आवश्यक हो गया है। प्रस्तुत में स्टेट आफ राजस्थान लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार है प्रस्तुत वाद का वाद कारण दौराने सेटलमेंट वादी के भाई मोडूलाल को आवंटन शुदा भूमि गत ख0नं0 179 क्री 16 बीघा जिसके सेटलमेंट बाद अन्य नम्बरान के साथ मिलाकर नया ख0नं0 274 रकबा 4.02 है0 कायम कर सिवायचक दर्ज कर देने और तदुपरान्त वादी को जानकारी होने पर उसके द्वारा राजस्व अधिकारियों से इन्द्राज दुरुस्ती हेतु निवेदन करने

और तहसीलदार सा० द्वारा दिनांक 16.11.16 को इन्द्राज दुसरती करने से इनकार करते हुये शीघ्र ही यादी को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के न्याय क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि वाद पत्र की मद सं0 1 में वर्णित वादी के भाई मोडूलाल को आवंटित व गैर खातेदारी की आराजी ख0नं0 गत 179 रकबा 15 बीघा वाके ग्राम रोझडी, जिसके सेटलमेंट के दौरान नये ख०न० 179/1 मिन व 179 कायम किये गये हैं, और जिसे अन्य ख0नं0 179/1 व 188/1 एवं 169 के साथ मिलाकर नया नं० 274 कायम कर रकबा 4.02 है0 कायम किया गया है, उसमें से वादी के भाई मोडूलाल को आवंटित 15 बीघा यानि 2.40 है० रकबा सिवायचक से हटाकर वादी को उसका खातेदार घोषित करते हुये वादी के खाते दर्ज किया जावे तथा इसी अनुरूप रिकार्ड में दुरूस्ती व अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाये कि राजस्व रिकार्ड में किये गये गलत इन्द्राज के आधार पर वादी के भाई मोडूलाल को आवंटन व गैर खातेदारी की आराजी गत खसरा नं० 179 रकबा 15 बीघा वाके ग्राम आवंली तह० लाडपुरा जिसके अन्य खसरा नम्बरान को मिलाकर दौरान सेटलमेंट नया नं0 274 कायम किया गया है और सिवायचक दर्ज किया गया है, उस गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी, वादी की 15 बीघा ख0नं0 274 की भूमि 2.40 है0 से ताकत के बल पर बादी को न तो बेदखल करे और न ही उसमें खड़ी वादी की फसल को कोई क्षति पहुंचाये, तथा वादी के ख0नं0 274 की 2.40 है0 पर चले आ रहे शान्तिपूर्ण कब्जे में प्रतिवादी ताकत के बल पर कोई मजाहमत व मदाखलत भी नहीं करे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 19.07.2017 को लोक–अदालत के तहत वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किये जाने व ग्राम आंवली तहसील लाडपुरा जिला कोटा के खसरा नम्बर 274 रकबा 4.02 हैक्टेयर में से 2.40 हैक्टेयर आराजी का वादी को खातेदार घोषित किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री 19.07.2017 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे मियाद बाहर प्रस्तुत की। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 96 सी.पी.सी. प्रार्थना–पत्र के निर्णय के अधीन सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को जारी सम्मन नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी को एक माह से अधिक का समय हो जाने से तामील मानी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. में निवेदन किया कि प्रार्थीगण मृतक मोडूलाल आत्मज रामलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम रोझडी तहसील लाडुपुरा के भाई व पत्नी है। जिन्हे पक्षकार बनाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश एवं डिक्री दिनांक 19.07.2017 को पारित किया गया। उक्त आदेश एवं डिक्री के आधार पर बाबूलाल के नाम आराजी दर्ज कर दी उक्त आदेश एवं डिक्री से प्रार्थीगण के अधिकार प्रभावित होने से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में निवेदन किया कि प्रार्थीगण मृत मोडूलाल आत्मज रामलाल गूर्जर निवासी रोझडी तहसील लाडपुरा के भाई व पत्नी है। जिन्हें पक्षकार बनाये बिना ही योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश एवं डिक्री दिनांक 19.07.2017 को प्रदान किया गया। जिसकी जानकारी दिनांक 02.10.2022 को कम्प्युटर से जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर हुई कि मोडूलाल के नाम वाली आराजी बाबूलाल के नाम दर्ज हो गई है जिस पर प्रार्थीगण द्वारा इंतकाल नम्बर 837 की नकल हेतु दिनांक 07.10.2022 को आवेदन कर दिनांक 10.10.2022 को प्राप्त की जिस पर ज्ञात हुआ कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से बाबूलाल का नाम दर्ज किया है तब जानकारी कर दिनांक 17.10.2022 को नकल का आवेदन कर दिनांक 21.10.2022 को नकल प्राप्त की तत्पश्चात् पैसो की व्यवस्था कर अपील जानकारी की तिथी से अवधि मध्य प्रस्तुत है। प्रार्थीगण का वर्णित आराजी में प्रथम दृष्ट्या हक व अधिकार निहित है। प्रार्थीगण को बिना सुने एवं पक्षकार बनाये बिना ही डिक्री प्राप्त की है। न्यायहित में अवधि कन्डोन फरमाया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण का विवादित भूमि में प्रथम दृष्ट्या हक व अधिकार निहित है। प्रार्थीगण को बिना सुने एवं पक्षकार बनाये बिना डिक्री प्राप्त की है, न्यायहित में अवधि कन्डोन किया जाना आवश्यक है। अन्त में प्रार्थीगण को अपील करने में हुई देरी को कन्डोन फरमाया जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाकर अपील सुनवाई किये जाने का निवेदन किया।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–96 सी.पी. सी. के प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया। हस्तगत विवादित भूमि अपीलांट संख्यास 1 के भाई व अपीलांट संख्या 2 के पति मोडूलाल को आवंटित हुई है तथा आवंटी मोडूलाल की मृत्यु के पश्चात आवंटी के भाई रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बाबूलाल ने उक्त भूमि के संबंध में खातेदारी घोषणा का हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। हस्तगत वाद में अपीलांटगण जो कि आवंटी मोडूलाल के विधिक वारिसान है, जिनको हस्तगत वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि अपीलांटगण आवश्यक पक्षकार थे। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण पक्षकार नहीं होने से विवादित भूमि केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज

किये जाने का निर्णय पारित किया गया है, अतः हमारे मत में अपीलांटगण हस्तगत निर्णरू व डिक्री दिनांक 19.07.2017 से प्रभावित पक्षकार है, जिन्हे प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांटगण को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। चूंकि अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने से अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.07.2017 की जानकारी नहीं होने का कथन विश्वसनीय होना प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण में उत्तराधिकार व राजस्व रिकॉर्ड के गंभीर प्रश्न अंतर्निहित है, अतः प्रकरण में तकनीकि बिन्दु पर उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए न्यायहित में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील मे हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

9. दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण एवं अवैधानिक है। यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि अपीलान्ट क्रम 1 के सगे भाई व अपीलान्ट क्रम 2 के पति मोडूलाल आत्मज रामलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम आवली तहसील लाडपुरा जिला कोटा को ग्राम आवली स्थित आराजी खसरा नम्बर 179 रकबा 15 बीघा का आवंटन दिनांक 20.04.1973 को आवंटन कर कब्जा प्रदान किया गया बाद आवंटन इंतकाल नम्बर 128 दिनांक 03.11.1975 से मोडूलाल के नाम राजस्व रिकोर्ड में गेर खातेदारी दर्ज की गई। बाद आवंटन से आवंटन आराजी का मोडूलाल निरन्तर काबिज होकर उपयोग व उपभोग करता रहा। अपीलान्ट के भाई एवं पति मोडूलाल का दिनांक 29.09.1988 को लडाई झगडे में मृत्यु हो गई। मोडूलाल आत्मज रामलाल का विवाह वर्ष 1980 में अपीलान्ट क्रम 2 मांगी बाई पुत्री कंवरलाल निवासी ग्राम लाम्बा पीपल तहसील तालेडा के साथ सम्पन्न हुयी। बाद विवाह अपीलान्ट क्रम 2 मोडूलाल के साथ रहकर दाम्पत्य दायित्वों का निर्वाह करती रही। वर्ष 1988 में मोडूलाल की हत्या हो जाने के 2–3 वर्ष तक अपीलान्ट क्रम 2 अपने ससुराल में निवास किया किन्तु बाद में ससुराल पक्ष द्वारा सहयोग नही करने से अपीलान्टा क्रम 2 अपने पिता कंवरलाल के साथ आकर निवास करने लगी और पिता कंवरलाल जी द्वारा अपीलान्टा क्रम 2 का नाता विवाह ग्राम अकतासा तहसील तालेडा निवासी शंकरलाल के साथ कर दिया, जो आज भी पति शंकरलाल के साथ निवास कर दाम्पत्य दायित्वो का निर्वाह करती चली आ रही है। उक्त

तथ्य को नजर अन्दाज कर डिक्री प्रदान करदी जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि मृतक मोडूलाल का रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के साथ साथ अपीलान्ट क्रम 1 भी सगा भाई है और रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा तथ्य छिपाकर पत्नी मांगी बाई एवं भाई मोहनलाल होने के बावजूद भी मिली भगत कर डिक्री प्राप्त करली जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण एवं अवैधानिक है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि वर्णित आराजी आवंटन आराजी है, जो राजस्व रिकोर्ड में गैर खातेदारी में दर्ज थी जिस पर आवंटन नियमों के अन्तर्गत ही खातेदारी प्रदान की जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत आवंटन आराजी पर खातेदारी प्रदान किये जाने के प्रावधान नहीं होने के उपरान्त भी नियमो के विपरीत डिक्री प्रदान कर दी जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि वर्णित आराजी ग्राम आवंली तहसील लाडपुरा में स्थित है जो मास्टर प्लान के अन्तर्गत है। जिस पर राज्य सरकार की बिना स्वीकृति एवं डी. एल. सी. दर की 20 प्रतिशत राशि जमा करवाये बिना खातेदारी प्रदान नही की जा सकती। उक्त विधिक प्रावधानो एवं राज्य सरकार को नुकसान पहुँचाने के ध्येय से डिक्री प्रदान की है जो त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि मोडूलाल विवाहित था और हत्या के समय अपीलान्ट क्रम 2 उसकी पत्नी मौजूद थी, इस प्रकार अपीलान्ट क्रम 2 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वारिसान एवं उत्तराधिकारी होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा तथ्य छिपाकर वाद डिक्री करवा लिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि रामलाल जी के तीन पुत्र मोडूलाल, बाबूलाल तथा मोहनलाल हुए तथा तीन पुत्रियॉं संतोष, सुशीला तथा धाखा बाई हुई। रामलाल की पत्नी का नाम रामचन्द्री था। मोडूलाल की हत्या हुई थी तथा बाद मे उनकी पत्नी मांगीबाई ने दूसरी जगह नाता विवाह किया। चूंकि वह नाता मोडूलाल के मरने के बाद गई, इसलिए मांगीबाई का हक अधिकार मोडूलाल की संपत्ति में था। अधीनस्थ न्यायालय में कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं हुआ। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि आवंटन आराजी के बाद नवीन खसरा नम्बर 274 रकबा 4.02 हैक्टर आराजी नगर विकास न्यास कोटा के नाम दर्ज थी जिसे पक्षकार बनाये बिना ही डिक्री प्रदान कर दी जो त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जे की जाँच किये बिना ही एवं वारिसान की जाँच किये बिना ही दावा डिक्री कर दिया जो विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.07.2017 निरस्त फरमाया जाकर ग्राम आवंली तहसील लाडपुरा स्थित आराजी का अपीलान्ट को खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया।

10. विद्वान पैरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में निवदेन कि अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया। हस्तगत भूमि राजकीय सिवायचक भूमि अंकित थी, अतः इसमें सरकार का पक्ष रखना आवश्यक है ताकि रिकॉर्ड से सही स्थिति स्पष्ट हो सके। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों पर कोई प्रदर्श

अंकित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड से वाद वादी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता। अंत में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.07.2017 को खारिज करने का निवेदन किया।

11. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकतरफा बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रमाणित प्रतिलिपी आवंटन पत्रावली की है जिसके अनुसार ग्राम आवंली की खसरा नम्बर 179 की 15 बीघा किस्म बारानी सोयम आवंटी मोडूलाल पुत्र रामलाल कोम गूजर सा. रोझडी को मि. न. 430 से दिनांक 20.4.73 को आंवटित होना अंकित है। प्रमाणित फोटोप्रति आवेदन पत्र(फार्म नं. 3 नियम 8) अन्तर्गत धारा 101 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 की है। प्रमाणित फोटोप्रति रिपोर्ट जांच पटवारी, पटवार मंडल बोराबास दिनांक 20.04.73 पर पृष्ठांकित एडवाईजरी कमेटी द्वारा पारित आदेश भू–आवंटन व दखल दिये जाने बाबत है। प्रमाणित फोटोप्रति दखलनामा दिनांक 7.4.75 की है। मोडूलाल वल्द रामलाल द्वारा न्यायालय एस.डी.ओ. कोटा को सम्बोधित प्रार्थना–पत्र वास्ते शुद्धि दिनांक 04.04.75 की प्रमाणित फोटोप्रति है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 25 पर उपलब्ध प्रमाणित फोटो प्रति प्रपत्र 5 नियम 15 राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 अनाधिवासित कृषि भूमि के आवंटन की आज्ञा दिनांक 20.04.76 की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 26 पर उपलब्ध प्रमाणित फोटो प्रति प्रपत्र 5 नियम 15 राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 अनाधिवासित कृषि भूमि के आवंटन की आज्ञा दिनांक 20.04.76 की है। फोटोप्रति खसरा गिरदावरी (चतुवर्षीय) ग्राम आवंली तहसील लाडपुरा सम्वत् 2041 से 2044 की है जिसमें खसरा नम्बर 179 रकबा 15 बीघा खातेदार मोडू पुत्र रामलाल गूजर सा. रोझडी अंकित है तथा इस गिरदावरी के कॉलम संख्या 16 में "पड़त 15" अंकित है। फोटोप्रति मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2038 यक 2057 की है जिसके अनुसार ग्राम आवंली तहसील लाडपुरा की गत खसरा नम्बर 177मी. व 179/1मी. के नवीन खसरा नम्बर 273 रकबा 2.88 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 168/1मि. व 179/1मि., 16मि. के नवीन खसरा नम्बर 274 रकबा 4.02 हैक्टेयर बने होना अंकित है। फोटोप्रति जमाबंदी भू–प्रबन्ध सम्वत् 2038 से 2057 की है जिसके अनुसार ग्राम आवंली तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 283 रकबा 2.88 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 264 रकबा 4.02 हैक्टेयर सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। फोटोप्रति नक्शा ट्रेस ग्राम आवंली तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 179 का है। फोटोप्रति नक्शा–किश्तवार तरमीमशुदा मौजा आवंली तहसील लाडपुरा सम्वत् 2012 व 2013 का है। फोटोप्रति नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 274 की है। फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र की है जिसमें मोडूलाल पुत्र रामलाल की मृत्यु दिनांक 30.09.1988 अंकित है। हस्तगत प्रकरण में अपील में मूल प्रश्न विवादित भूमि, जो कि मोडूलाल को आवंटित हुई थी, की खातेदारी व अधिकार को लेकर है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बाबूलाल ने अपने वाद में कथन किया है कि वह आवंटी मोडूलाल का भाई व जायज उत्तराधिकारी होने से

विवादित भूमि के संबंध में घोषणा का अधिकारी है। वाद के चरण संख्या 5 में वादी ने स्वयं को मोडूलाल का एकमात्र उत्तराधिकारी होने का कथन अंकित किया है तथा यह भी अंकित किया है कि वादी के अलावा मृतक मोडूलाल का अन्य कोई वारिस एवं उत्तराधिकारी नहीं है। वहीं दूसरी ओर अपीलांटगण का कथन है कि अपीलांट संख्या 1 आवंटी मोडूलाल का भाई व अपीलांट संख्या 2 आवंटी मोडूलाल की पत्नी होने से विवादित भूमि में आवंटी मोडूलाल की मृत्यु के पश्चात उनके भी हक अधिकार निहित है, परन्तु उन्हे अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार कायम नहीं किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट का यह भी कथन रहा है कि रामलाल जी के तीन पुत्र मृतक मोडूलाल(आवंटी), बाबूलाल(रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी), मोहनलाल(अपीलांट संख्या 1), तथा तीन पुत्रियां संतोष, सुशीला, व धाखा बाई हुए है तथा पत्नी रामचन्द्री बाई थी। अधिक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलांट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी सगे भाई है । अपीलांट के कथनों का कोई खण्डन हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ है। अपीलांट ने अपील के साथ एक फोटोप्रति इकरारनामा प्रस्तुत की है। जिसमें मोहनलाल एवं बाबूलाल को रामलाल का पुत्र होना अंकित है तथा संतोष बाई सुशीला बाई दाखा बाई पुत्रियॉं होना अंकित है। हमारे मत में मोडूलाल के उत्तराधिकारियों के सम्बंध में सही स्थिति क्या है? यह सभी पक्षकारों को साक्ष्य व सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर ही निर्धारित किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद में प्रतिवादी के रूप में संयोजित रेस्पोडेन्ट संख्या 2 स्टैट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा का भी कोई जवाब प्रस्तुत नही हुआ। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18.05.2017 पर अंकित है कि, "पत्रावली पेश हुई। वादी वकील ने जवाब दावा पेश नहीं होने पर बन्द किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। वास्ते साक्ष्य वादी पत्रावली दिनांक 05.06.2017 को पेश हो।" अर्थात इस आदेशिका पर प्रतिवादी का जवाबदावा बंद करने के स्पष्ट आदेश नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत राजस्व व सम्बंधित दस्तावेजों पर कोई प्रदर्श अंकित नहीं किए गए। प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही भी नहीं की गई। दिनांक 17.07.2017 को केवल वादी के वकील की एकपक्षीय बहस सुनकर प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 19.07.2017 जारी की गई। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व कोर्ट मैन्युअल एवं सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों की पालना नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में यह भी स्पष्ट विवेचन नहीं है कि सैटलमेंट विभाग ने किस प्रकार गलती की है? केवल सरसरी तौर पर प्रश्नगत निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी विधिक–त्रुटि की है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है। मृतक मोडूलाल के विधिक वारिस कौन–कौन है, यह स्पष्ट नहीं है। अतः अपीलांट सभी वारिसान को हितबद्ध पक्षकार के रूप में अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार संयोजित करवाए।

12. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक

मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 07/2017 मे पारित निर्णय व डिकी दिनांक 19.07.2017 खारिज किये जाते है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांटगण तथा अन्य आवश्यक पक्षकारों को नियमानुसार पक्षकार कायम करते हुए तथा उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, गुणावगुण पर नवीन सिरे से निर्णय पारित करें। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 27.10.2023 को उपस्थित रहें। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावे।

13. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जाये।

14. निर्णय आज दिनांक 27.09.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा